न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : बन्ना लाल जाट
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक निगरानी संख्या 66/2026

CIS No 66 /2026

सुथार शिवानी पुत्री मनसुख भाई उर्फ मंसाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी भवानी नगर, टी.एम.सी. चाल रूम नंबर 3 घोडबंदर रोड, 61वे कांसारवडवली ठाने महाराष्ट्र हाल रा. 205 बी.विंग वि. नं. 1 ओमसाई अपार्टमेंट सपना नगरी डी वाटा स्कूल जवल करोली, भिवंडी जिला ठाने, महाराष्ट्र।

.....प्रार्थीया/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, जालोर

2– करण कुमार पुत्र भगवानाराम, निवासी गुडा बालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर ।

.....अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2024 जो कि विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 02, जिला जालोर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या 500/2024(सीआईएस नं. 2271/2024) अनवान करण कुमार बनाम सुथार शिवानी में पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री अजहरूद्दीन, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक : 07.07.2026**

1. प्रार्थीया/निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान् विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 02, जिला जालोर द्वारा दांडिक परिवाद संख्या 500/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की।

Authenticated Document

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी करण कुमार ने सुथार शिवानी के विरूद्व अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिस पर सुना जाकर विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.12.2024 को अभियुक्त सुथार शिवानी पुत्री मनसुख भाई उर्फ मंसाराम, हाल निवासी रा. 205 बी.विंग वि. नं. 1 ओमसाई अपार्टमेंट सपना नगरी डी वाटा स्कूल जवल करोली, भिवंडी जिला ठाने, महाराष्ट्र के विरूद्ध धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नियमित दर्ज रजिस्टर करने एवं उसके विरुद्ध जरिए सम्मन तलब किए जाने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया/निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की।

3. बहस निगरानी सुनी, आलोच्य आदेश व विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन. आई. एक्ट में दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया है, जिसमें परिवाद संख्या 500/2024(सीआईएस नं. 2271/2024) है, जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.12.2024 को उक्त परिवाद पर बिना प्रार्थीया/निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए प्रसंज्ञान लिया है एवं प्रार्थीया/निगरानीकर्ता के विरुद्ध समन एवं वारंट आदेशिकाएं जारी की हैं। उनका आगे तर्क है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223(1) के प्रथम परन्तु में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ''किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।'' विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों को अनदेखा करते हुए संज्ञान लिया गया है। यदि प्रार्थीया/निगरानीकर्ता को प्रसंज्ञान से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपने पक्ष में परिवादी करण कुमार के विरुद्ध ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पाती। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्ता के विरूद्व बिना निगरानीकर्ता/अभियुक्ता को सुनवाई का अवसर दिए प्रसंज्ञान लेकर तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित की है। उन्होंने आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त करने का निवेदन किया।

Authenticated Document

5. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का उक्त आदेश विधिसम्मत है। अतः प्रार्थीया/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

6. मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में परिवाद पेश करने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2024 को रिवीजनकर्ता/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लेकर रिवीजनकर्ता/अभियुक्ता को जरिए सम्मन से तलब करने का आदेश दिया है तथा रिवीजनकर्ता/अभियुक्ता ने इस आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में यह रिवीजन पेश की है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथा परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात व भुगतान नहीं होने से अभियुक्त को अधिवक्ता के मार्फत दिये गये रजिस्टर्ड विधिक नोटिस आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रिवीजनकर्ता/अभियुक्ता ने परिवादी करण कुमार को विधितया शोध्य राशि की अदायगी पेटे अपने बैंक आर.बी.एल. बैंक लिमिटेड, शाखा डोम्बिचली वेस्ट का संख्या 000001 दिनांक 30.09.2024 राशि 4,00,000/– का चैक दिया था तथा परिवादी द्वारा नियमित समयावधि के भीतर उक्त चैक को सिकरने हेतु आई.डी. बी.आई. शाखा जालोर में पेश किया गया, जिस पर संबंधित बैंक द्वारा उक्त चैक ''Drawers signature differ'' के पृष्ठांकन सहित अनादरित होकर दिनांक 05.11.2024 को परिवादी के पास पुनः लौटा। तत्पश्चात् उक्त दिनांक से एक माह के भीतर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थीया/रिविजनकर्ता के अंतिम ज्ञात पते पर एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 07.11.2024 को भेजा गया, जो नोटिस प्रार्थीया/रिविजनकर्ता को दिनांक 09.11.2024 को प्राप्त हुआ। नोटिस प्रेषित करने के पश्चात् उक्त डिमांड नोटिस में वर्णित नियत समयावधि 15 दिवस के भीतर प्रार्थीया/रिविजनकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 03.12.2024 को विचारण न्यायालय में परिवाद पेश किया गया।

7. इस प्रकार परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्ता को उक्त चैक बैंक में

Authenticated Document

सिकरने हेतु पेश करने पर राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसके बाद दिनांक 07.11.2024 को रिवीजनकर्ता/अभियुक्त को परिवादी करण कुमार ने रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है जो उसको दिनांक 09.11.2024 को प्राप्त हुआ तथा 15 दिन के भीतर चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं करने पर निर्धारित अवधि में विद्वान विचारण न्यायालय में परिवाद पेश किया है।

8. जहां तक रिवीजनकर्ता की यह आपत्ति कि निगरानीकर्ता/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। परंतु प्रसंज्ञान लेने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उसे सुना जाना चाहिये ऐसा प्रावधान एन.आई.एक्ट में नहीं है। जहां तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223(1) में वर्णित प्रावधान का प्रश्न है, तो उक्त प्रावधान एन.आई.एक्ट विशेष अधिनियम होने के कारण इस अधिनियम में लागू नहीं होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Sanjabij Tari v. Kishore S. Borcar & Anr. (2025 LiveLaw (SC) 952 / 2025 INSC 1158), dated September 25, 2025** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"Recently, the High Court of Karnataka in Ashok Vs. Fayaz Aahmad, 2025 SCC OnLine Kar 490 has taken the view that since NI Act is a special enactment, there is no need for the Magistrate to issue summons to the accused before taking cognizance (under Section 223 of BNSS) of complaints filed under Section 138 of NI Act. This Court is in agreement with the view taken by the High Court of Karnataka. Consequently, this Court directs that there shall be no requirement to issue summons to the accused in terms of Section 223 of BNSS i.e., at the pre-cognizance stage."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सिद्वांत के अनुसार एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लिए जाने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि सम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Authenticated Document

9. अतः प्रार्थीया/निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 02, जिला जालोर को पत्रावली अविलम्ब प्रेषित करें।

(बन्ना लाल जाट)
सेशन न्यायाधीश
जालोर

10. आदेश आज दिनांक 07.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sahil Khan
Digitally signed by Sahil Khan
Date: 2026.07.07 17:00:33 +0530

(बन्ना लाल जाट)
सेशन न्यायाधीश
जालोर

Authenticated Document